मतदाताओं के लिए मार्गनिर्देशिका

इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन
की
नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट

भारत निर्वाचन आयोग

1. आपको मतदान क्यों करना चाहिए?

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मतदान का अधिकार और इससे भी महत्वपूर्ण पात्र नागरिकों द्वारा मताधिकार का प्रयोग करना, प्रत्येक लोकतंत्र की आधारशिला है। हम लोगों के पास इस मताधिकार के प्रयोग के जरिए अपने उन प्रतिनिधियों का चुनाव करके देश का भविष्य तय करने की मूल शक्ति मौजूद है जो सरकार चलाते हैं तथा वृद्धि, विकास और सभी नागरिकों के हित के संबंध में निर्णय लेते हैं।

2. कौन मतदान कर सकता है?

वर्ष की पहली जनवरी की स्थिति के अनुसार, **18** वर्ष आयु के सभी भारतीय नागरिक, जिनके लिए निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है, उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के हकदार हैं जहां वे *सामान्य रूप से निवास* कर रहे होते/होती हैं। केवल वे व्यक्ति, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और जिन्हें एक सक्षम न्यायालय ने इस प्रकार घोषित किया है या जो निर्वाचनों के संबंध में 'भ्रष्ट आचरण' या अपराधों के कारण अयोग्य हो गए हों, निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के हकदार नहीं हैं।

3. निर्वाचक नामावली क्या है?

3.1 निर्वाचक नामावली उन सभी पात्र नागरिकों की एक सूची है जो निर्वाचन में अपना मत डालने के हकदार होते हैं/निर्वाचक नामावली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-वार तैयार की जाती है। किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली को मतदान केन्द्रों के अनुरूप भागों में उप-विभाजित किया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग ने सामान्यतया प्रति मतदान केन्द्र अधिकतम **1200** मतदान रखने का निर्णय लिया है। मतदान केन्द्र इस प्रकार स्थापित किए जाते हैं कि किसी भी मतदाता को सामान्य रूप से मतदान केन्द्र तक पहुंचने के लिए **2** किलोमीटर से अधिक की यात्रा न करनी पड़े। सामान्यतया एक भाग एक मतदान केन्द्र से संबंधित होता है।

3.2 *अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपेक्षा है कि आपका नाम निर्वाचक नामावली में होना चाहिए।* विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उस क्षेत्र, जहां आप सामान्यतया रहते हैं, के संगत भाग में अपना नाम पंजीकृत हुए बिना आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करनेकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए यह पता लगाना आपका **कर्त्तव्य** है कि क्या आपका नाम दर्ज है या नहीं।

4. पंजीकृत कैसे हों?

4.1 निर्वाचन आयोग गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से निर्वाचक नामावली तैयार करता है जिसमें घर-घर जाकर पंजीकरण का कार्य किया जाता है और प्रत्येक मकान में रहने वाले निर्वाचक उन आधिकारिक व्यक्तियों द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं जो निर्वाचकों के बारे में सूचना एकत्र करने घर-घर जाते हैं। यह प्रक्रिया सामान्य तौर पर पांच वर्षों में एक बार की जाती है। दो गहन पुनरीक्षणों के मध्य एक निर्धारित अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष संक्षिप्त पुनरीक्षण भी होता है जिसमें निर्वाचक नामावली में छूट गए व्यक्तियों को प्ररूप-**6** में आवेदन करके स्वयं को पंजीकृत कराने का एक अवसर दिया जाता है। आपसे यह भी आशा की जाती है कि आप जहां पहले रहते होंगे उस स्थान से अपना नाम हटवाएं तथा इस स्थिति में अपना नाम उस नए स्थान पर शामिल करवाएं जहां आप चले गए हैं। इसके लिए आपकी ओर यह पर्याप्त होगा कि आप नए स्थान के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्ररूप **6** में दावा आवेदन प्रस्तुत करें तथा उक्त आवेदन में अपने पूर्ववर्ती रिहाइशी स्थल का पूरा पता दें। निवास के स्थान पर कम समय के लिए अनुपस्थिति रहने से किसी को निर्वाचक नामावली में उसका नाम बनाए रखने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार उन निर्वाचकों के नाम हटा दिए जाते हैं जिनकी मृत्यु हो गई होती है या जो अपने क्षेत्र से निर्वाचक नामावली के निर्धारित भाग से बाहर किसी अन्यत्र स्थान पर चले गए होते हैं। आप यह नोट करें कि आप केवल एक स्थान पर ही पंजीकृत हो सकते हैं। एक से अधिक स्थान पर पंजीकृत होना एक अपराध है।

4.2 निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण, जो सामान्यत: प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार होता है, के दौरान घर-घर जाकर पंजीकृत किए जाने के बाद एक मसौदा नामावली तैयार तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त करने हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र स्थल पर प्रकाशित की जाती है। कोई भी पात्र व्यक्ति नामावली में अपना नाम शामिल कराने के लिए प्ररूप **6** में दावा कर सकता है या प्ररूप **7** में किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर आपत्ति उठाने या अपना नाम या किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाने का दावा कर सकता है। इसी प्रकार यदि निर्वाचक नामावली में कोई विवरण जैसे नाम, मकान संख्या, मध्य नाम, अंतिम नाम, आयु, लिंग, एपिक संख्या आदि संशोधित कराना हो तो प्ररूप सं. **8** में दावा किया जा सकता है। यदि किसी निर्वाचक ने एक मतदान केन्द्र के मतदान क्षेत्र से उसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में

किसी अन्य मतदान केन्द्र के मतदान क्षेत्र में मकान बदला हो तो वह एक निर्वाचन भाग से दूसरे भाग में परिवर्तन/अंतरण के लिए प्ररूप सं. 8क में आवेदन कर सकता है।

4.3 प्रत्येक वर्ष होने वाले निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान दावे और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र स्थल पर मौजूदा निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाती है ताकि शामिल करने, हटाने, आशोधन और अंतरण का कार्य हो सके। उचित जांच के पश्चात् सभी दावों और आपत्तियों पर निर्णय लिए जाते हैं और एक अनुपूरक निर्वाचक नामावली तैयार तथा प्रकाशित की जाती है।

4.4 निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के बाद भी निर्वाचक नामावली को अद्यतन करने की प्रक्रिया चलती रहती है और नागरिक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष नाम शामिल कराने, हटाने, आशोधन और अंतरण के लिए कोई भी आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

4.5 विधि के अनुसार, आपका नाम विधान सभा या संसद के किसी भी साधारण निर्वाचन या उप-निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित की गई अभ्यर्थियों द्वारा नामनिर्देशन दायर करने की अंतिम तारीख तक पंजीकृत हो सकता है। आपके आवेदन पर निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा कार्रवाई किए जाने हेतु आप नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख से कम से कम दस दिन पहले आवेदन करें क्योंकि उन्हें नामावली में आपका नाम शामिल करने से पूर्व पूरे सात दिन का स्पष्ट नोटिस देकर अनिवार्यत: आपत्तियां आमंत्रित करनी होती हैं। यदि आप नामनिर्देशन की अंतिम तारीख से पूरे दस दिनों के बाद आवेदन करते हैं तो उसे विशेष निर्वाचन के उद्देश्य से आपका नाम शामिल नहीं हो पाएगा।

5. निर्वाचक नामावली में अपने नाम की जांच तथा उस मतदान केन्द्र का पता कैसे लगाएं जहां आपको मतदान के लिए जाना है?

निर्वाचक के रूप में आपको तत्काल पता लगाना चाहिए कि आपका नाम उस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में शामिल है या नहीं जहां आप रहते हैं। आप इस सूचना का पता अपने क्षेत्र के निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से लगा सकते हैं। सभी प्रमुख शहरों की निर्वाचक नामावलियां अब सरकारी वेबसाइटों पर प्रदर्शित की गई हैं।

6. क्या आपके पास निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) है?

भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान के समय मतदाता का सत्यापन अनिवार्य किया हुआ है। निर्वाचकों को आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) या आयोग द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अपनी पहचान सिद्ध करनी होती है।

7. क्या केवल एपिक पास रखने से आप मतदान के हकदार हो जाएंगे?

7.1 आप नोट करें कि केवल आपको जारी एपिक पास रखना आपको आपके मतदान की गारंटी नहीं देता है क्योंकि इसके लिए आपका नाम निर्वाचक नामावली में होना अनिवार्य है।

यदि आपको निर्वाचक नामावली में अपने नाम का पता चल जाता है और आपके पास निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पहचान दस्तावेज (एपिक या अन्य) भी है तो आप मतदान के हकदार होंगे।

7.2 इससे पहले कि आप मतदान केन्द्र पर आएं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी हैं जिन्हें बतौर निर्वाचक या देश का जागरूक नागरिक होने के नाते आपको जानकारी होने की आवश्यकता है।

8. अभ्यर्थियों द्वारा क्या प्रकट किया जाना है?

8.1 हाल में भारत निर्वाचन आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में यह अनिवार्य किया है कि सभी अभ्यर्थी निम्नलिखित विवरण सहित अपना नामनिर्देशन प्ररूप के साथ एक शपथ पत्र अवश्य प्रस्तुत करेंगे:-

i. अपना आपराधिक पूर्ववृत्त,
ii. अपना और अपनी पत्नी/पति एवं आश्रितों की परिसंपत्तियां और देयताएं, और
iii. अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि।

यह इस उद्देश्य के लिए किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी के बारे में जानकारी होने तथा एक सुविचारित चयन करने का अधिकार है।

8.2 निर्वाचन आयोग ने सभी रिटर्निंग ऑफिसरों को प्राप्त होने के तत्काल बाद अपने सूचना पट्ट पर किसी भी दिन नामनिर्देशन संबंधी दस्तावेजों और संलग्न शपथपत्रों की प्रतियां प्रदर्शित करने तथा प्रेस एवं उसे किसी भी नागरिक को उक्त नि:शुल्क वितरित करवाने के लिए प्रतियां तैयार करने का निदेश दिया है जो ऐसी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं। देश का कोई भी नागरिक किसी भी अभ्यर्थी द्वारा दायर नामनिर्देशन प्ररूप और शपथपत्र की प्रतियां रिटर्निंग ऑफिसर से प्राप्त कर सकता है और इसे मना नहीं किया जा सकता है। मतदाता के रूप में आपको यह सूचना मांगने और इसे प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

8.3 अभ्यर्थियों की ओर से सरकार की तरफ देयताओं का विवरण निर्वाचकों के हित में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर प्रकाशित किया जाता है।

8.4 उपर्युक्त उपाय निर्वाचकों की उस अभ्यर्थी के सुविचारित चयन में सहायता करते हैं जिसके लिए वे मतदान करने जा रहे होते हैं।

9. मतदान का दिन नजदीक आने पर बुनियादी क्या करे और क्या न करें कौन-कौन से हैं?

9.1 एक मतदाता के रूप में आपको उन पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए जो भ्रष्ट आचरण या निर्वाचन संबंधी अपराध समझे जाते हैं:

i. किसी विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान करने या न करने के लिए धन या कोई अन्य प्रलोभन देना या स्वीकार करना।
ii. किसी विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान करने या न करने के लिए शराब, भोज, उपहार आदि के माध्यम से प्रलोभन देना।
iii. धर्म, जाति, समुदाय, वर्ग विशेष की मान्यताएं या जन्म-स्थान के आधार पर किसी विशेष अभ्यर्थी के पक्ष में मतदान करने या न करने के लिए उकसाना।
iv. किसी निर्वाचक को किसी अभ्यर्थी-विशेष के पक्ष में मतदान करने या न करने की धमकी देना।
v. किसी निर्वाचक को किसी मतदान केन्द्र पर जाने या आने के लिए नि:शुल्क वाहन की सुविधा देने का प्रस्ताव करना।

10. मतदान की प्रक्रिया क्या है? आप यह कार्य कैसे करते हैं?

10.1 मतदान का दिन का और समय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इनका व्यापक प्रचार सभी निर्वाचनों से पहले किया जाता है।

10.2 जब आप मतदान केन्द्र पहुंचेंगे तो आपका प्रवेश कतारों द्वारा विनियमित किया जाएगा। पुरुष और महिला मतदाताओं तथा नि:शक्त जनों के लिए अलग-अलग कतारें होंगी। कतार लगाने वाला व्यक्ति एक समय पर **3-4** मतदाताओं को मतदान केन्द्र में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करेगा। नि:शक्त मतदाताओं और गोद में बच्चा लिए महिला मतदाताओं को कतार में खड़े अन्य मतदाताओं की तुलना में वरीयता दी जाएगी।

10.3 चरण 1: जब आप मतदान केन्द्र में प्रवेश करेंगे तो आप सर्वप्रथम प्रथम मतदान अधिकारी के पास जाएंगे जो निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के प्रभारी होते हैं और निर्वाचकों की पहचान के लिए उत्तरदायी भी। आप प्रथम मतदान अधिकारी को दिखाने हेतु अपनी पहचान से संबंधित दस्तावेज तैयार रखेंगे। आप उन्हें स्वयं से संबंधित विवरणों वाले गैर-शासकीय पहचान पर्ची भी दिखा सकते/सकती हैं। तथापि यह ध्यान में रखें कि गैर-शासकीय

पहचान पर्ची केवल निर्वाचक नामावली में आपका नाम ढूंढने में मदद करती है और यह आपकी पहचान की गारंटी नहीं है। तत्पश्चात् प्रथम मतदान अधिकारी अपका नाम और क्रम संख्या ज़ोर से पढ़ेंगे ताकि मतदान अभिकर्ता आपकी उपस्थिति से अवगत हो जाएं तथा आपकी पहचान को चुनौती नहीं दी जा सके।

10.4 चरण 2: तत्पश्चात् यदि आपकी पहचान को चुनौती नहीं दी जाती है तब आप द्वितीय मतदान अधिकारी को ओर बढ़ेंगे जो आपकी बायीं तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही लगाएंगे। तब वे मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक नामावली में आपकी क्रम संख्या दर्ज करेंगे। जब यह दर्ज हो जाएगा आप मतदाता रजिस्टर के निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर करेंगे। यदि मतदाता हस्ताक्षर नहीं कर सकता/सकती है तब उसके अंगूठे की छाप ली जाएगी। तत्पश्चात् द्वितीय मतदान अधिकारी आपको हस्ताक्षरित मतदाता पर्ची सौंपेंगे जिस पर मतदाता रजिस्टर में आपकी क्रम संख्या और निर्वाचक नामावली में आपकी क्रम संख्या दर्ज की गई होगी।

10.5 चरण 3: तत्पश्चात् आप तृतीय मतदान अधिकारी के पास जाएंगे जो आपसे द्वितीय मतदान अधिकारी द्वारा आपका दी गई मतदाता पर्ची ले लेंगे। तृतीय मतदान अधिकारी मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट का "बैलट" बटन दबाएंगे और आपको मतदान कोष्ठ में जाने के लिए कहेंगे जहां आप मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर अपना मत दर्ज करेंगे। कृपया नोट करें कि प्रत्येक मतदाता उसी क्रम में मतदान कोष्ठ में जाएगा जिस क्रम में मतदाता रजिस्टर में उनकी क्रम संख्या दर्ज हुई है।

10.6 चरण 4: मतदान की प्रक्रिया

- मतदान कोष्ठ के अंदर आप अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने मतदान यूनिट पर मौजूद नीला अभ्यर्थी बटन दबाएंगे।
- बटन को केवल एक बार दबाना है।
- अभ्यर्थी बटन दबाए जाने पर उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने दी गई लाल बत्ती जल उठेगी।
- इसके अतिरिक्त एक बीप की आवाज भी सुनाई देगी जिससे यह पता चल जाएगा कि आपका मत दर्ज हो चुका है और नियंत्रण यूनिट का बिजी लैंप बुझ जाएगा।
- यह प्रक्रिया मतदान की समाप्ति तक अन्य मतदाताओं के लिए दोहराई जाती रहेगी।

10.7 *आपको अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि मतदान की गोपनीयता महत्वपूर्ण है। प्रत्येक निर्वाचक से आशा की जाती है कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और यदि निर्वाचक मतदान की गोपनीयता बनाए रखने में असफल रहता है तो उसे मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो कोई व्यक्ति गोपनीयता भंग करता है तब उस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** की धारा **128** के अंतर्गत अपराध का मामला दर्ज किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई निर्वाचन पदाधिकारी आपसे यह जाकारी लेने का प्रयास करता है कि आपने किसे मत दिया है तो वह भी उस व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध होगा। मतदान करते हुए मतदाता की फोटो लेना वर्जित है। यह भी नोट किया जाए कि कोई भी मतदान पदाधिकारी या अभिकर्ता आपको मतदान में सहायता करने के बहाने मतदान कोष्ठ में नहीं आ सकता है। हालांकि यदि आपको शारीरिक अशक्तता के कारण इस प्रकार की सहायता चाहिए तो आपको अपने साथ अपना मत दर्ज करने के लिए एक सहचर ले जाने की अनुमति होगी जिसकी आयु **18** वर्ष से कम नहीं होगी।*

11. क्या आप अंतिम चरण में अपना मत डालने से मना कर सकते हैं?

11.1 विधि के अनुसार, एक मतदाता अंतिम चरण में अपना मत डालने से मना कर सकता है। यदि आप मतदाता रजिस्टर पर हस्ताक्षर तथा द्वितीय मतदान अधिकारी से मतदाता पर्ची प्राप्त कर लेने के बाद मतदान न करने का निर्णय लेते हैं तब आप तत्काल इसकी सूचना पीठासीन अधिकारी को देंगे। वे आपसे मतदाता पर्ची वापस ले लेंगे तथा मतदाता रजिस्टर के टिप्पणी कॉलम यह दर्ज करेंगे कि आपने अपना मताधिकार का प्रयोग न करने का निर्णय लिया है और आपको उक्त प्रविष्टि के नीचे अपने हस्ताक्षर करने होंगे। यह हो जाने के बाद आप मतदान कोष्ठ में गए बिना मतदान केन्द्र से बाहर जा सकते हैं।

12. क्या होता है जब आपके मत को चुनौती दी जाती है

यदि एक मतदाता के रूप में आपकी पहचान को किसी अभ्यर्थी के मतदान अभिकर्ता द्वारा इस आधार पर चुनौती दी जाती हे कि आप वह व्यक्ति नहीं है जिसका नाम निर्वाचक नामावली में है तब पीठासीन अधिकारी चुनौती देने वाले को उसकी चुनौती के समर्थन में साक्ष्य देने के लिए कहेंगे। इसी प्रकार से वे आपको भी अपनी पहचान का साक्ष्य देने के लिए कहेंगे। आप इसके लिए अपना एपिक या पासपोर्ट, राशन कार्ड जैसा कोई अन्य समर्थनकारी दस्तावेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि चुनौती सिद्ध नहीं हो पाती है तब आपको मतदान की अनुमति दी जाएगी। तथापि, यदि चुनौती सही साबित हो जाती है तो आपको मतदान से वंचित कर दिया जाएगा और पीठासीन अधिकारी द्वारा लिखित शिकायत के साथ आपको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा।

13. क्या होगा यदि कोई अन्य व्यक्ति आपके नाम पर मतदान कर जाए?

13.1 मतदान केन्द्र के अंदर आने पर यदि प्रथम मतदान अधिकारी आपसे यह कहते हैं कि आपका मत पहले ही डाला जा चुका है तो आप इसे तत्काल पीठासीन अधिकारी के ध्यान में लाएंगे। विधि के अनुसार आपको निविदत्त मत डालने की अनुमति है। निर्वाचनों का संचालन नियम के नियम **49**पी के अनुसार, आपको एक निविदत्त मतपत्र दिया जाएगा और आपको निविदत्त मतों की सूची में अपने नाम का हस्ताक्षर करना होगा। निविदत्त मतपत्र उसी प्रकार का होता है जो मतपत्र मतदान यूनिट पर प्रदर्शित होता रहता है सिवाय इसके कि इसके जारी किए जाने के समय इसके पीछे या तो रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्टाम्प द्वारा या पीठासीन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में "निविदत्त मतपत्र" शब्द लिखे होते हैं।

13.2 कटे तीर वाले चिह्न के रबर स्टाम्प की मदद से अपने पसंदीदा अभ्यर्थी के मत देने के बाद आप निविदत्त मतपत्र पीठासीन अधिकारी को सौंप देंगे जो इसे एक अलग लिफाफे में रखेंगे। कृपया यह नोट करें कि ऐसी स्थिति में आप अपना मत ईवीएम में नहीं डाल पाएंगे।

14. आपके पास किस प्रकार के शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध हैं?

14.1 यदि आपकी निर्वाचक नामावली, निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या निर्वाचन संबंधी किसी अन्य मामले को लेकर कोई शिकायत हो तो आप निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी..... राज्य स्तर पर
जिला निर्वाचन अधिकारी..... राज्य स्तर पर
रिटर्निंग ऑफिसर..... निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर
सहायक रिटर्निंग ऑफिसर..... तालुक/तहसील स्तर पर
निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी..... निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर
पीठासीन अधिकारी ..... मतदान केन्द्र पर
जोनल अधिकारी ..... मतदान केन्द्रों के एक समूह के लिए
(*विस्तृत पते आदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे*)

14.2 प्रत्येक निर्वाचन के दौरान आयोग प्रेक्षकों की नियुक्ति करता है जो राज्य से बाहर के वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारी होते हैं। यदि आपकी कोई शिकायत या समस्या हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं।